भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 650
उत्तर देने की तारीख : 22.07.2026

अल्पसंख्यक समुदायों के लिए केंद्र सरकार की योजनाएं

650. श्री हमदुल्ला सईद:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण, शिक्षा, कौशल विकास और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कार्यान्वित केंद्र सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान लक्षद्वीप में उक्त अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने लक्षद्वीप की भौगोलिक पृथकता, सीमित संस्थागत अवसंरचना और मुख्य द्वीप के बाहर शिक्षा एवं रोजगार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन योजनाओं की प्रभावशीलता और कवरेज की समीक्षा की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के अंतर्गत कमियों, विलंब अथवा अधिक सहयोग की आवश्यकता के संबंध में लक्षद्वीप प्रशासन, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों अथवा सामुदायिक संगठनों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत में केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह (6) अल्पसंख्यक समुदायों, अर्थात् बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण के लिए निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन करता है:

(i) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK)

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) एक केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना है, जो कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं में से एक है और जिसका उद्देश्य देश के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य, कौशल विकास, शिक्षा, महिला-केंद्रित परियोजनाओं, पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, खेल, नवीकरणीय ऊर्जा तथा अन्य सामुदायिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में सामुदायिक अवसंरचना का सृजन करना है।

PMJVK एक मांग-आधारित योजना है और इस योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधियों का आवंटन नहीं किया जाता है। संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर परियोजनाओं पर विचार किया जाता है और उन्हें अनुमोदन प्रदान किया जाता है। परियोजनाओं का प्रारूप निर्माण/तैयारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा की जाती है। PMJVK के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप से ऐसा कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ii) प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS)

प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS) मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है, जिसमें पूर्ववर्ती पाँच योजनाओं, अर्थात् 'सीखो और कमाओ', 'नई मंज़िल', 'नई रोशनी', 'हमारी धरोहर' और 'उस्ताद (USTTAD)' का समेकन किया गया है। यह योजना कौशल विकास, अल्पसंख्यक महिलाओं को उद्यमिता एवं नेतृत्व विकास तथा विद्यालय छोड़ चुके बच्चों को शिक्षा सहायता के माध्यम से लक्षद्वीप सहित देशभर में, अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित है।

इस योजना के अंतर्गत परियोजनाएँ राष्ट्रीय स्तर पर पात्र परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (PIAs) को आवंटित की जाती हैं और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आधार पर आवंटित नहीं की जाती हैं। परिणामस्वरूप, PM VIKAS के अंतर्गत स्वीकृत एवं उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुरक्षित नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में PM VIKAS के अंतर्गत कोई PIA प्रशिक्षण प्रदान नहीं कर रही है।

वर्तमान में लक्षद्वीप के लिए PM VIKAS योजना के अंतर्गत कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(iii) छात्रवृत्ति

मंत्रालय द्वारा केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदायों, अर्थात् बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख समुदायों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के साथ निम्नलिखित तीन छात्रवृत्ति योजनाएँ कार्यान्वित की गई हैं:

i) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना;

ii) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना; तथा

iii) मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना।

वर्ष 2023 से लक्षद्वीप में छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या तथा जारी की गई निधि शून्य है। तथापि, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (MANF) के अंतर्गत वर्ष-वार जारी की गई निधि निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	योजना	छात्रों की संख्या	संवितरण
2023-24	MANF	0	0

2024-25	MANF	1	969500
2025-26	MANF	0	0

(iv) जियो पारसी

जियो पारसी केंद्रीय क्षेत्र की एक विशिष्ट योजना है, जिसे वर्ष 2013-14 में वैज्ञानिक प्रोटोकॉल एवं संरचित हस्तक्षेपों को अपनाकर पारसी आबादी में हो रही गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने, उनकी आबादी को स्थिर करने तथा भारत में पारसियों की जनसंख्या में वृद्धि करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

जियो पारसी योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता जारी करना मांग-आधारित है और यह देशभर में पारसी समुदाय के पात्र सदस्यों के लिए उपलब्ध है। वर्तमान में, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में इस योजना का कोई लाभार्थी नहीं है। अतः पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के लिए इस योजना के अंतर्गत कोई निधि आवंटित, जारी या उपयोग नहीं की गई है।

(v) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC)

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) देशभर में अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के "पिछड़े वर्गों" के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए स्वरोजगार एवं आय-सृजन संबंधी उद्यमों हेतु रियायती ऋण प्रदान करके अपनी योजनाओं का कार्यान्वयन करता है।

लक्षद्वीप प्रशासन ने संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए लक्षद्वीप विकास निगम को राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी (SCA) के रूप में नामित किया है।

NMDFC, संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में स्वरोजगार तथा अन्य आय-सृजन गतिविधियों के लिए अपनी रियायती ऋण योजनाओं का कार्यान्वयन केनरा बैंक के माध्यम से कर रहा है तथा अब तक इस योजना के अंतर्गत 41 लाभार्थियों को 27 लाख रुपए के ऋण संवितरित किए जा चुके हैं।

सरकार लक्षद्वीप की भौगोलिक एवं अवसंरचनात्मक बाधाओं को ध्यान में रखते हुए लक्षद्वीप सहित अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन एवं कवरेज की समय-समय पर समीक्षा करती है। आवश्यकतानुसार योजनाओं की सुगम पहुंच और प्रभावी कार्यान्वयन में बेहतरी के लिए समय-समय पर उपयुक्त उपाय किए जाते हैं।

(घ): अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के अंतर्गत कमियों, विलंब या अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता के संबंध में लक्षद्वीप प्रशासन, निर्वाचित प्रतिनिधियों अथवा सामुदायिक संगठनों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।
